न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :—श्री मुकेश बारैठ आर.ए.एस.

मि0न0 —03/2020

अनवान : —

1. रणसिंह पुत्र हीराराम जाति जाट निवासी करनपुरा तहसील भादरा। — वादी

ब ना म

1. हीराराम पुत्र श्योजी जाति जाट निवासी करनपुरा तहसील भादरा।
2. भागूराम पुत्र हीराराम जाति जाट निवासी करनपुरा तहसील भादरा।
3. कृष्णलाल पुत्र हीराराम जाति जाट निवासी करनपुरा तहसील भादरा।
4. बालूसिंह पुत्र हीराराम जाति जाट निवासी करनपुरा तहसील भादरा।
5. रामचंद्र पुत्र हीराराम जाति जाट निवासी करनपुरा तहसील भादरा।
6. धन्नी पुत्री हीराराम जाति जाट निवासी करनपुरा तहसील भादरा।
7. कमला पुत्री हीराराम जाति जाट निवासी करनपुरा तहसील भादरा।
8. सरबती पुत्री हीराराम जाति जाट निवासी करनपुरा तहसील भादरा।
9. भतेरी पुत्री हीराराम जाति जाट निवासी करनपुरा तहसील भादरा।
10. बिमला पुत्री हीराराम जाति जाट निवासी करनपुरा तहसील भादरा।
11. राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक जरिये शाखा प्रबंधक भादरा।
12. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

:— प्रतिवादीगण

दावा बाबत घोषणात्मक एवं रिकार्ड दुरूस्ती
अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम

उपस्थिति :—श्री कपूरचंद शर्मा वकील वादी
श्री विक्रम शर्मा वकील प्रतिवादीगण

दिनांकः 17/2/2020

निर्णय

वादी के दावा के सक्षेंप में तथ्य इस प्रकार है कि रोही मोजा करनपुरा के के वर्तमान खाता संख्या 391/369 के खसरा सं0 176 की 3.0730है0, खसरा सं0 228 की 0.6320है0, कुल 3.7050है0 बारानी एवं रोही मोजा करनपुरा बारानी के खाता सं0 131/370 के खसरा सं0 177 की 1.7450है0, खसरा सं0 258 की 2.9090है0, खसरा सं0 259 की 0.3290है0 कुल 4.9830है0 बारानी जिसमें प्रतिवादी सं0 1 हीरा के नाम 1/4 हिस्सा, रोही मोजा करनपुरा बारानी के खाता सं0 132/325 के खसरा सं0 13 की 2.7950है0, खसरा सं0 15 की 2.2640है0, खसरा सं0 25 की 0.0250है0 कुल 5. 0840है0 जिसमें प्रतिवादी सं0 के नाम से 26 हिस्सा, चक 8 एमएसआर के खाता सं0 151/132 के मु0 न0 70 के किला न0 16 की 0.253है0, मु0 न0 75 के किला न0 2 ता 10, 15, 16, 25 प्रत्येक किला की 0.253है0, कुल 5.8190है0 जिसमें नहरी 0. 2280है0, बारानी 5.4410है0, गै0 मु0 रास्ता 0.0250है, गै0 मु0 खाला 0.1250है0 सम्पूर्ण कृषि भूमि प्रतिवादी सं0 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। एवं चक 8 एमएसआर के खाता सं0 152/131 के मु0 न0 71 के किला न0 11 ता 14, 17 ता 25, मु0 न0

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

72 के किला न0 8 ता 25, मु0 न0 73 के लिा न0 4 ता 7, मु0 न0 74 के किला न0 1 ता 10 प्रत्येक किला की 0.253 है0, कुल 11.3850है0 जिसमें नहरी 11.2350है0 गै0 मु0 खांला 0.1500है0 कृषि भूमि में प्रतिवादी सं0 1 के नाम 1/4 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। एवं इसी प्रकार चक 3 केआरपी के खाता सं0 182/155 के मु0 न0 60 के किला न0 13 ता 18, 23 ता 25, मु0 न0 67 के किला न0 3 ता 8, 13 ता 15, प्रत्येक किला की 0.253है0, कुल 4.5540है0, नहरी 4.5150है0, गै0 मु0 रास्ता 0. 0390है0 कृषि भूमि प्रतिवादी सं0 1 के नाम 1/4 हिस्सा खातेदारी दर्ज है। इसी प्रकार चक 9 एमएसआर के खाता सं0 99/93 के मु0 न0 10 के किला न0 4 ता 7, 14 ता 16 प्रत्येक किला की 0.253है0, कुल 1.7710है0, नहरी 1.6200है0, गै0 मु0 खाला 0.1510है0 कृषि भूमि प्रतिवादी सं0 1 हीराराम के नाम से खातेदारी दर्ज है। प्रमाणित प्रति जमाबंदी हाल संलग्न वाद है। यही बिनाय दावा है।

वादी एवं प्रतिवादीगण हिन्दु है तथा हिन्दु उतराधिकर अधिनियम एवं हिन्दु मिताक्षरा पद्धति से शासित होते है। वादभूमि पहले वादी के दादा श्योजी की खातेदारी हुआ करती थी। श्योजी के देहान्त होने पर वादभूमि जो प्रतिवादी हीरा के नाम से दर्ज है वह वादी एवं प्रतिवादीगण सं. 1 ता 10 को बहिस्सा बराबर के अनुसार विरासतन में मिली थी परन्तु प्रतिवादी हीरा कर्ता खानदान होने के चलते विरासतन इन्तकाल तन्हा प्रतिवादी हीराराम अपने नाम से दर्ज करवा लिया। इस प्रकार वादभूमि वादी एवं प्रतिवादीगण की दादालाई पैत्रक कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्म से हक एवं अधिकार निहित है। वादभूमि तन्हा प्रतिवादी हीरा के नाम दर्ज होने से वादी के अधिकारों पर प्रतिकुल प्रभाव पड़ता है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। तामील उपरान्त प्रतिवादी सं. 1 ता 10 एवं वादी ने न्यायालय मे उपस्थित होकर अपना राजीनामा पेश किया। तथा प्रतिवादी सं0 11 व 12 को वकील प्रतिवादी ने तर्क किया। राजीनामा पेश होने के कारण तनकीयात की आवश्यकता नही पाई जाने के कारण साक्ष्यवादी में वादी रणसिंह पुत्र हीरा जाति जाट निवासी करनपुरा तहसील भादरा के साक्षय करवाये गये। साक्ष्य की ताहिद में वादी ने जमाबंदी रोही मौजा करनपुरा बारानी खाता सं0 391/369 संवत 2074–77 प्रदर्श–1, जमाबंदी करनपुरा बारानी खाता सं0 131/370 संवत 2074–77 प्रदर्श 2, 132/325 सम्वत 2074–77 प्रदर्श–3, चक 8 एमएसआर के खाता सं0 151/132 संवत 2072–75 प्रदर्श 4, चक 8 एमएसआर के खाता सं0 152/131 संवत 2072–75 प्रदर्श 5, चक 3 केआरपी 182/155 संवत 2071–74 प्रदर्श 6, चक 9 एमएसआर खाता सं0 99/93 संवत 2073–76 प्रदर्श 7, वारिस प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत करनपुरा प्रदर्श 9, जमाबंदी करनपुरा संवत 1995 प्रदर्श 10, रोही करनपुरा जमाबंदी संवत 1999 प्रदर्श 11,प्रदर्शित करवाये गये।

बहस वकील उभय पक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील उभय पक्षकारान ने अपने वाद के तथ्यों को दोहराया एवं मुताबिक राजीनामा वाद वादी डिक्री किये जाने का निवेदन किया।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रस्तुत प्रकरण में वादी ने रोही मोजा रोही मौजा करनपुरा बारानी के खाता संख्या 132/325 की 5.08450है0 में 26 हिस्सा, एवं रोही करनपुरा बारानी के खाता सं0 391/369 की कुल 3.7050है0

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

बारानी, खाता सं0 131/370 की कुल 4.9830है0 में 1/4 हिस्सा, चक 8 एमएसआर के खाता सं0 151/132 की कुल 5.8190है0 नहरी, व खाता सं0 152/131 की 11.385है0 नहरी में 1/4 हिस्सा, चक 3 केपीआर के खाता सं0 182/155 की 4.5540है0 में 1/4 हिस्सा, एवं इसी प्रकार 9 एमएसआर के खाता सं0 99/93 की 1.7710है0 नहरी में 1/4 हिस्सा खातेदारी खातेदारी प्रतिवादी हीरा के नाम से खातेदारी दर्ज भूमि में अपने हकों की घोषणा हेतु वाद प्रस्तुत किया एवं प्रतिवादीगण ने वादी के वाद को स्वीकार करते हुये अपना राजीनामा पेश कर अपना सम्पूर्ण हिस्सा वादीगण के पक्ष में तर्क कर दिया है।

अतः वाद वादीगण मुताबिक राजीनामा डिक्री कर घोषणा की जाती रोही मोजा रोही मौजा करनपुरा बारानी के खाता संख्या 132/325 की 5.08450है0 में 26 हिस्सा, एवं रोही करनपुरा बारानी के खाता सं0 391/369 की कुल 3.7050है0 बारानी, खाता सं0 131/370 की कुल 4.9830है0 में 1/4 हिस्सा, चक 8 एमएसआर के खाता सं0 151/132 की कुल 5.8190है0 नहरी, व खाता सं0 152/131 की 11.385है0 नहरी में 1/4 हिस्सा, चक 3 केपीआर के खाता सं0 182/155 की 4.5540है0 में 1/4 हिस्सा, एवं इसी प्रकार 9 एमएसआर के खाता सं0 99/93 की 1.7710है0 नहरी में 1/4 हिस्सा खातेदारी प्रतिवादी हीरा के नाम से खातेदारी दर्ज भूमि में प्रतिवादी सं. 6 ता 10 के द्वारा वादी एवं प्रतिवादी 1 ता 5 के पक्ष में हक त्याग किये गये हिस्सा पर पंजीयन विभाग द्वारा नियमानुसार देय स्टाम्प ड्यूटी एवं पंजीयन शुल्क देय करने पर एवं वादभूमि रहनमुक्त होने उक्त वादभूमि में वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 5 प्रत्येक 1/6 हिस्सा बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करें। इसी अनुसार पर्चा डिक्री तैयार कर संलग्न की जावे।

निर्णय आज दिनांक 17/2/2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

उपखण्डाधिकारी भादरा जिला हनुमानगढ़ (राज.)

(मुकेश बारैठ)
उपखण्डाधिकारी (राजस्व) R.A.S
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :–श्री मुकेश बारैठ आर.ए.एस.

मि0न0 –03/2020

अनवान : –

1. रणसिंह पुत्र हीराराम जाति जाट निवासी करनपुरा तहसील भादरा।

– वादी

ब ना म

1. हीराराम पुत्र श्योजी जाति जाट निवासी करनपुरा तहसील भादरा।
2. भागूराम पुत्र हीराराम जाति जाट निवासी करनपुरा तहसील भादरा।
3. कृष्णलाल पुत्र हीराराम जाति जाट निवासी करनपुरा तहसील भादरा।
4. बालूसिंह पुत्र हीराराम जाति जाट निवासी करनपुरा तहसील भादरा।
5. रामचंद्र पुत्र हीराराम जाति जाट निवासी करनपुरा तहसील भादरा।
6. धन्नी पुत्री हीराराम जाति जाट निवासी करनपुरा तहसील भादरा।
7. कमला पुत्री हीराराम जाति जाट निवासी करनपुरा तहसील भादरा।
8. सरबती पुत्री हीराराम जाति जाट निवासी करनपुरा तहसील भादरा।
9. भतेरी पुत्री हीराराम जाति जाट निवासी करनपुरा तहसील भादरा।
10. बिमला पुत्री हीराराम जाति जाट निवासी करनपुरा तहसील भादरा।
11. राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक जरिये शाखा प्रबंधक भादरा।
12. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

:– प्रतिवादीगण

दावा बाबत घोषणात्मक एवं रिकार्ड दुरूस्ती
अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम

आज यह वाद मुझ श्री मुकेश बारैठ उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा के समक्ष वकील वादी श्री कपुरचंद शर्मा एवं वकील प्रतिवादीगण विक्रम शर्मा की उपस्थिति मे निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादीगण मुताबिक राजीनामा डिक्री कर घोषणा की जाती रोही है कि मोजा रोही मौजा करनपुरा बारानी के खाता संख्या 132/325 की 5.08450है0 में 26 हिस्सा, एवं रोही करनपुरा बारानी के खाता सं0 391/369 की कुल 3.7050है0 बारानी, खाता सं0 131/370 की कुल 4.9830है0 में 1/4 हिस्सा, चक 8 एमएसआर के खाता सं0 151/132 की कुल 5.8190है0 नहरी, व खाता सं0 152/131 की 11.385है0 नहरी में 1/4 हिस्सा, चक 3 केपीआर के खाता सं0 182/155 की 4.5540है0 में 1/4 हिस्सा, एवं इसी प्रकार 9 एमएसआर के खाता सं0 99/93 की 1.7710है0 नहरी में 1/4 हिस्सा खातेदारी प्रतिवादी हीराराम के नाम से खातेदारी दर्ज भूमि में प्रतिवादी सं. 6 ता 10 के द्वारा वादी एवं प्रतिवादी 1 ता 5 के पक्ष में हक त्याग किये गये हिस्सा पर पंजीयन विभाग द्वारा नियमानुसार देय स्टाम्प ड्यूटी एवं पंजीयन शुल्क देय करने पर एवं वादभूमि रहनमुक्त होने उक्त वादभूमि में वादी एवं प्रतिवादी सं.

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

1 ता 5 प्रत्येक 1/6 हिस्सा बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करें।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 17/2/2020 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

उपखण्डाधिकारी भादरा

(मुकेश बारैठ)
उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
R.A.S
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ

Signature Not Verified
Digitally signed by Mukesh Bareth
Date: 2020.03.16 11:14:47 IST
Reason: SelfAttested
Location: